(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

R-3513-III/14 प्रकरण क्रमांक- /2014/निगरानी R-3513-

चिमनलाल पुत्र श्री ठाकुरलाल, उम्र-75वर्ष, व्यवसाय-कृषि, निवासी-ग्राम मनियर तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)----*आवेदक*

दिनांक 16-10-14 को श्री एस० एल० धाकड़ अभि० द्वारा प्रस्तुत।

16-10-14
SO

बनाम

1. सरवनलाल पुत्र श्री रतीराम धाकड़, निवासी-ग्राम मनियर तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)
2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शिवपुरी (म0प्र0)

S.L. Dhakad Adv.
16/10/2014

----*अनावेदकगण*

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1995 विरुद्ध आदेश दिनांक 07.08.2014 पारित न्यायालय तहसीलदार शिवपुरी जिला शिवपुरी (म0प्र0) प्रकरण क्रमांक-240/2013-2014/अ-12.

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-

1- यहकि, विवादित सर्वे क्रमांक-466 रकवा 0.063 हैक्टेयर से लगी हुई आवेदक की भूमि सर्वे क्रमांक-465 एवं 511 लगी हुयी हैं।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3513–तीन / 14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा कों आदि के हस्ताक्षर
24 .12.18	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस एल धाकड उपस्थित अनावेदक क0 1 पूर्व से एक पक्षीय है अनावेदक क0 2 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री आशीष सारस्वत उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। 2– आवेदक के अधिवक्ता श्री एस एल धाकड द्वारा इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार शिवपुरी जिला शिवपुरी के प्र0 क0 240 / अ–12 / 2013–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर के प्रकरण कमांक 2 / अ–5 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16 / 03 / 18 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई। 3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया अध्ययन से प्रतीत होता है कि म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन द्वितीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में ग्राह्य योग्य नहीं होने से अमान्य की जाती है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15 / 02 / 19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15 / 2 / 19 **अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी**	